(W.R)

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 7811 / 2007 / जिला जयपुर

1- जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 ओंकार जाति माली निवासी ढाणी फोजावाली वार्ड नम्बर-1 मो0 बासडी कोटपुतली जिला जयपुर ।
2- श्रीमती बरफी पुत्री स्व0 ओंकार पत्नी नेतराम जाति सैनी निवासी कोठाली नांगल चौधरी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
3- श्रीमती रतो पुत्री स्व0 ओंकार पत्नी रामसिंह जाति सैनी निवासी कोठाली नांगल चौधरी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
4- मु0 रामदेही बेवा स्व0 बनवारीलाल
5- रोहताश पुत्र स्व0 मनवारीलाल
6- जयप्रकाश पुत्र स्व0 बनवारीलाल

7- घनश्याम (मृतक) पुत्र स्व0 बनवारीलाल जरिये वारिसान :-
7/1- संतोष देवी बेवा स्व0 घनश्याम सैनी
7/2- संगीता पुत्री स्व0 घनश्याम सैनी (आयु 15 वर्ष)) नाबालिग जरिये माता कुदरती
7/3- सोनू पुत्री स्व0 घनश्याम सैनी (आयु 13 वर्ष)) वली श्रीमती संतोष देवी बेवा
7/4- सौरभ पुत्र स्व0 घनश्याम सैनी (आयु 11 वर्ष)) घनश्याम सैनी नि. ढाणी
7/5- दीपक पुत्र स्व0 घनश्याम सैनी (आयु 8 वर्ष)) फौजावाली वार्ड नं.1, कोटपुतली।

8- चेतराम पुत्र स्व0 बनवारीलाल
9- शंकर पुत्र स्व0 बनवारीलाल

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1- भैरूराम पुत्र स्व0 ओंकार जाति माली निवासी फोजावाली वार्ड नम्बर-1 मो0 बासडी कोटपुतली जिला जयपुर ।

2- मु0 जडावली बेवा स्व0 ओंकार माली निवासी फोजावाली वार्ड नम्बर-1 मो0 बासडी कोटपुतली जिला जयपुर । (नाम तर्क)

3- श्रीमती सरती पुत्री स्व0 ओंकार माली पत्नी पोखरमल सैनी निवासी रामपुरा तह0 बानसूर जिला अलवर ।
4- सरकार जरिये तहसीलदार कोटपुतली जिला जयपुर ।
5- उप पंजीयक, कोटपुतली जिला जयपुर ।
6- श्रीमती विद्यादेवी पुत्री बनवारीलाल सैनी निवासी बड़ी ढाणी तन थोई तहसील श्रीमाधोपुर ।
7- प्रहलाद पुत्र गोपाल माली निवासी फोजावाली वार्ड नम्बर-1, मो0 बासडी कोटपुतली जिला जयपुर ।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड-पीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य
श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी, सदस्य

उपस्थित :
श्री आत्माराम शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री हेमन्त सोगानी) अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1
श्री शिवसिंह चौधरी)
शेष प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित,

दिनांक : 29 जुलाई , 2013

निर्णय

1- हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या-158/2006 में दिनांक 9-8-2007 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं ।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि अपीलार्थीगण / वादीगण ने प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण के विरूद्ध विद्वान उप खण्ड अधिकारी, कोटपुतली जिला जयपुर के न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र के चरण संख्या-1 में वर्णित खसरा नम्बर साबिक 148, 153, 274, 296, 297, 304 का 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर-302 का 1/4 हिस्साा खसरा नम्बर-259 का 1/4 हिस्सा खसरा नम्बर-301 के पोने हिस्से का आधा हिस्सा ग्राम बासड़ी तहसील कोटपुतली जिसके हाल खसरा नम्बर-501, 505, 522, 523, 823, 873, 874, 876, 877, 880, 883, 884, 888, 892, 900, 901, 905, 945, 946 कुल किता 19 कुल रकबा 2.88 हैक्टेयर की भूमि ग्राम बासड़ी तहसील कोटपुतली में पक्षकारान के बुजुर्गो के समय से सेकड़ो वर्षो से काबिज काश्त चली आ रही है । पक्षकारान जीणा उर्फ जीवन के वंशज है। जीणा के चार में से दो जीवित पुत्र गोपाल व ओंकार रहे । जिनमें ओंकार कर्ता खानदान था। ओंकार ने वादग्रस्त जर्मीनों को राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम करवा लिया। गोपाल की मृत्यु पर गोपाल की पत्नी फुली ने ओंकार से नाता विवाह कर लिया । जिसके जगदीश, बरफी व रतो पैदा हुये । इसलिये वादग्रस्त जर्मीन पर गोपाल के वारिसान तथा फुली से उत्पन्न ओंकार के पुत्र-पुत्री पर खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है । इसलिये दावा डिक्री किया जावे । प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश हुये। तनकीयात कायम की जाकर बाद विचारण दावा स्वीकार कर डिक्री किया गया । जिसके विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से अपील पेश की गयी। योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9-8-2007 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14-8-2006 को निरस्त कर दिया । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9-8-2007 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण / वादीगण ने राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष हस्तगत् द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी ।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का कथन है कि योग्य विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त सम्पत्ति में अपीलार्थीगण / वादीगण का हक मानते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित कर दावा डिक्री किया था । मगर योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने साक्ष्य और विधि का सही विवेचन नहीं करते हुये अधीनस्थ न्यायालयका निर्णय अपास्त कर दिया । वादीगण की साक्ष्य से यह साबित है कि फुली, गोपाल की पत्नी थी । फुली के गोपाल से दो पुत्र पैदा हुये थे । गोपाल की मृत्यु पर फुली ने ओंकार से नाता कर लिया । जिससे एक पुत्र और दो पुत्रियां पैदा हुई । ओंकार की प्रथम पत्नी के पुत्र भैरू ने समस्त पैतृक संपत्तियों को राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम करवा लिया । इसलिये वादीगण ने पैतृक सम्पत्ति में अपना हक व अधिकार मानते हुये खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा पेश किया था । योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी का यह निष्कर्ष सही नहीं है कि वादग्रस्त सम्पत्त्यिां पैतृक सम्पत्ति नहीं होकर केवल ओंकार की सम्पत्ति रही हो । वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श-1 जमाबन्दी संवत 2002 से वादग्रस्त सम्पत्ति जीवणा के नाम रहना और जीवणा की मृत्यु पर संवत 2005 की खतौनी में सीधे ही ओंकार के नाम दर्ज होना प्रमाणित है । लिखित और मौखिक साक्ष्य के आधार पर योग्य विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर-1 वादीगण के पक्ष में सही निर्णय की थी । मगर योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने साक्ष्य की गलत व्याख्या करते हुये तनकी नम्बर-1 का निर्णय बदल दिया । योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने नामान्तरकरण बाबत पत्रावली पर दस्तावेज नहीं होना गलत माना है । संवत 2005 में पैतृक सम्पत्ति केवल ओंकार के नाम कैसे आई, यह प्रतिवादीगण ने साबित नहीं किया ।

5- वादग्रस्त सम्पत्तियों के संबंध में भैरू के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका भी पेश की थी जिसमें भी वादग्रस्त सम्पत्तियों को पैतृक सम्पत्ति माना गया था । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय की गलत व्याख्या करते हुये भैरू का नाम दर्ज किया गया है । जबकि वादग्रस्त सम्पत्ति पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी पूर्वजों का कब्जा माना है । वादीगण की साक्ष्य से अपीलार्थी जगदीश का पिता ओंकार होना पूरी तरह प्रमाणित है । जिसके दस्तावेजात की फोटो प्रतियां पेश की गयी थी । लेकिन असल दस्तावेज और प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश नहीं करने के कारण योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी ने जगदीश को ओंकार का पुत्र नहीं मानने का निर्णय पारित किया है । जगदीश का जन्म दिनांक 16-7-1952 के बाबत दस्तावेज की फोटो प्रतियां पेश की है । इकरारनामा सन् 1980 से भी जगदीश का ओंकार का पुत्र होना साबित है । अपील में दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की गयी है जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है । जिससे योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्ष का खण्डन होता है । विचारण न्यायालय में प्रदर्शो के संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी । जबकि योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रदर्श पर भी आपत्ति की है । नामान्तरकरण संख्या-128 माननीय राजस्थान उच्च न्यचायालय के आदेश की पालना में खोला जाना योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी ने गलत लिखा है । योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी ने तनकी नम्बर-7 का निर्णय बदलते हुये प्रकरण की सुनवाई का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होना गलत माना है । कृषि भूमि पर अधिकारों की घोषणा का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है । नामान्तरकरण की प्रक्रिया संक्षिप्त प्रक्रिया है जिससे किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिलते, बल्कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा के द्वारा यह अधिकार प्राप्त होता है ।

6- वादी को ओंकार का पुत्र घोषित कराने के लिये दावा पेश करने की आवश्यकता नहीं है । जगदीश का जन्म सन् 1952 में हुआ है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में आया है । वादी ने अपना वाद सन् 1955 के पूर्व की स्थिति के बारे में पेश किया है । यदि तनकी संख्या-7 के निर्णय के मुताबिक राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है और सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है तो योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी को वाद खारिज करने का अधिकार नहीं है । बल्कि मामला सिविल कोर्ट को भेज सकता है । प्रतिवादीगण का यह अभिवचन नहीं था कि बिस्वेदार ने सन् 2005 में ओंकार को खातेदार बनाया है जबकि अपील में इस प्रकार के नये तथ्य नहीं उठाये जा सकते । राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में खातेदारी अधिकार देने का आदेश नही है जबकि प्रतिवादी ने जवाबदावा का आधार माना है । क्षेत्राधिकार का आधार वाद पत्र के तथ्यों से तय होता है । वाद पत्र के तथ्यों से वादीगण का दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना प्रमाणित है । योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील में पूरे मामले का विवेचन करने के बाद क्षेत्राधिकार नहीं होना मानकर अपील का निस्तारण गलत तरीके से किया है । योग्य अधिवक्ता ने अन्त में अपील स्वीकार कर योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय अपास्त करने व योग्य उप खण्ड अधिकारी के निर्णय को बहाल करने का निवेदन किया ।

7- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1 का कथन है कि वादी को अपना दावा स्वयं को साबित करना है । प्रतिवादीगण की कमियों के आधार पर वादी का दावा साबित नहीं माना जा सकता । दावा केवल जगदीश का नहीं है, बल्कि बनवारी व उसके भाई-बहनों का भी है । जयपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अन्तरण एवं विरासत योग्य नहीं थी, बल्कि बिश्वेदार की मर्जी से काश्तकार नियुक्त होते थे । वादीगण का यह दावा नही है कि बिश्वेदार और खातेदार के मध्य लगान के भुगतान का कोई अनुबन्ध रहा हो । बिश्वेदार ने केवल ओंकार को ही काश्तकार खातेदार बनाया था । दस्तावेज प्रदर्श-2 विरासत की स्थिति को नहीं दर्शाता । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले बिश्वेदार को यह अधिकार था कि जिसे चाहे उसे जमींन काश्त पर दें । भैरू का जन्म बनवारी के बाद हुआ था और बनवारी पहले पैदा हुआ था । इसलिये भैरू का परिवार का मुखिया होने का प्रश्न ही नहीं था । मूल बिश्वेदार मुस्लिम थे जो सन् 1947 में पाकिस्तान चले गये । बिश्वेदारों के पाकिस्तान चले जाने पर ओंकार को राजस्व जमा कराने का नोटिस दिया गया था। क्योंकि बिश्वेदारों के चले जाने के समय ओंकार ही कब्जा काश्त में था ।

8- फुली की शादी ओंकार से कब, किस तरह हुई यह दावा में अंकित नहीं है जबकि साक्ष्य से यह साबित है कि जिस समय फुली का ओंकार से नाता कराना बताया है, उस समय ओंकार की पत्नी जड़ाव मौजूद थी । जगदीश व उसकी बहने किसकी संताने हैं, यह तथ्य सिविल न्यायालय द्वारा तय करवाये बिना वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है । वादग्रस्त सम्पत्ति पर ओंकार के अधिकारों का निर्धारण जयपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर तय किया जाना है । वादीगण ने वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा व काश्त साबित नही किया । योग्य उप खण्ड अधिकारी द्वारा तनकी संख्या-7 में प्रतिवादी पर सिविल न्यायालय से घोषणा करवाने बाबत जो विवेचन किया, वह गलत है । संवत् 2005 में कब्जा काश्त व नामान्तरकरण प्रतिवादी के नाम से थे । कब्जा के बिना घोषणा का दावा मियाद बाहर है । बिश्वेदार द्वारा वादीगण को खातेदार बनाने की कोई साक्ष्य नहीं है । खसरा गिरदावरी **"रिकार्ड ऑफ राईट्स"** नही है और खसरा गिरदावरी की प्रविष्टियों के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करवाई का सकती । केवल भूमि को काश्त करने के आधार पर भी खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करवाई जा सकती, बल्कि बिश्वेदार व काश्तकार के मध्य हुये अनुबन्ध को विशिष्ट रूप से दावे में बताना आवश्यक है । वादीगण को

पैतृकता का निर्धारण सिविल न्यायालय से करवाये बिना वादग्रस्त सम्पत्ति पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करवा सकते । योग्य विचारण न्यायालय ने साक्ष्य और विधि का सही विवेचन नहीं करते हुये गलत निर्णय पारित किया है । योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः द्वितीय अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

9- अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व हम अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-41 नियम-27 का निर्णय किया जाना उचित समझते हैं । अपीलार्थी ने अपील के समय जगदीश पुत्र ओंकार के द्वारा किये गये मूल इकरारनामा व पाठशालान्तरण प्रमाण पत्र व उसकी द्वितीय प्रति पेश की है । योग्य विचारण न्यायालय द्वारा टी.सी. पर विश्वास करते हुये अपना निर्णय पारित किया है, जबकि उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं होने और प्रदर्शित नहीं होने के आधार पर उन पर विश्वास नहीं करते हुये योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी ने तनकी संख्या-2 का निर्णय किया है । उक्त दस्तावेज प्रकरण के उचित न्याय निर्णयन के लिये आवश्यक दस्तावेज होने से रिकार्ड पर लिये जाने योग्य है । अतः अपीलार्थीगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश-41 नियम-27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लेने का आदेश दिया जाता है।

10- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया ।

11- विचारण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णयों के निष्कर्ष एक-दूसरे के विपरीत है । योग्य विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14-8-2006 के द्वारा अपीलार्थीगण / वादीगण का वाद उनके पक्ष में निर्णीत करते हुये अपीलार्थीगण / वादीगण के पक्ष में डिक्री पारित की है जबकि योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपील में विचारण न्यायालय के निर्णय निर्णय व डिक्री को अपास्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष एक-दूसरे के विपरीत होने के कारण तनकीवार अपील का निर्णय किया जा रहा है । विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या-1 से तनकी संख्या-10 निम्न प्रकार कायम की है :-

1- आया वाद पत्र के खण्ड नम्बर-1 में वर्णित आराजी पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है ।
2- आया वाद पत्र के खण्ड नम्बर-2 में वर्णित अनुसार पक्षकारान का सजरा है ।
3- आया पक्षकारान का संयुक्त हिन्दू परिवार था। मुखिया कर्ता खानदान दादा जीणा था, जो विवादित भूमि पर काबिज काश्तकार था । जीणा के मरने के बाद ओंकार बड़ा होने के कारण व बाकी सदस्य नाबालिग होने के कारण राजस्व अभिलेख में ओंकार का नाम दर्ज रहा।
4- आया प्रतिवादी 5 व 6 आराजी जैर दावा के हिस्सा 1/2 के तथा शेष 1/2 हिस्से की भूमि पर वादी संख्या-1,3,4 एवं प्रतिवादीगण संख्या-1 से 4 बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है ।
5- आया प्रतिवादी नम्बर-1 ने बदनियती पूर्व चुपचाप नामान्तरकरण संख्या-128 आराजी जैर दावा का तस्दीक करवा लिया, जो अवैध एवं प्रभाव शुन्य है ।
6- आया प्रतिवादीगण संख्या-1 के पिता ओंकार ने गोपाल की विधवा

पत्नी फुली से नाता विवाह नहीं किया ना ही ओंकार से वादी संख्या-1, 3 व 4 पैदा हुये ।

7- आया वाद में माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है ।

8- आया वादीगण को विनाये दावा पैदा नहीं होती है ।

9- आया दावा मियाद बाहर है ।

10- दादरसी ?

12- **तनकी संख्या-1 :-** इस तनकी में मुख्य रूप से यह निर्णीत किया जाना है कि वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है या नहीं है । अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादग्रस्त सम्पत्ति मूल रूप से जीणा उर्फ जीवणा पिता छाजू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । संवत् 2003 में जीणा की मृत्यु हुई, उसके एक महिने के भीतर ही जीणा के पुत्र गोपाल की मृत्यु हो गयी । जीणा की मृत्यु से पहले ही उसके पुत्र चन्दर और हीरालाल भी ला-औलाद फौत हो गये थे । इसलिये जीणा की और गोपाल की एक महिने के भीतर मृत्यु होने पर जीणा के पुत्रान में केवल ओंकार ही मौजूद रहा था । इसलिये जीणा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादग्रस्त भूमि ओंकार के नाम दर्ज कर दी गयी । इसके खण्डन में प्रत्यर्थी / प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादग्रस्त सम्पत्ति जीणा की नहीं थी इसलिये पैतृक नहीं थी । उनका यह भी तर्क है कि जयपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अन्तरण और विरासत योग्य नहीं थी, बल्कि बिश्वेदार अथवा खातेदार की मर्जी से खातेदार नियुक्त होते थे और तत्कालीन विश्वेदार ने ओंकार को काश्तकार नियुक्त किया था । इसलिये राजस्व रिकार्ड में ओंकार का नाम दर्ज किया गया था । उनका यह भी तर्क है कि ओंकार ही प्रारम्भ से वादग्रस्त सम्पत्ति पर काबिज काश्त होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ओंकार की मृत्यु पर भैरू के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया है ।

13- योग्य विचारण न्यायालय ने इस संबंध में यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों पक्षों की साक्ष्य से यह साबित है कि जीणा के चार पुत्र थे, जिनमें से चन्दर व हीरा जीणा के जीवनकाल में ही ला-औलाद फौत हो गये थे और बड़े बेटे गोपाल की भी मृत्यु जीणा की मृत्यु के एक माह के भीतर हो गयी थी । इस निष्कर्ष के संबंध में प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण का कोई विरोधी मत या तर्क नहीं है और यह तथ्य सुस्थापित है कि जीणा के जीवनकाल में उसके दो पुत्र ला-औलाद फौत होने पर और जीणा की मृत्यु के एक माह के भीतर ही वादी बनवारी व प्रहलाद के पिता गोपाल की मृत्यु हो जाने से जीणा का एक मात्र जीवित पुत्र ओंकार ही परिवार में सबसे बड़ा पुरूष सदस्य था । प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण को ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से उक्त तथ्य का खण्डन नहीं किया गया कि जीणा की मृत्यु के एक माह के भीतर गोपाल की मृत्यु नहीं हुई हो और ओंकार, जीणा का एकमात्र जीवित पुत्र व परिवार का बड़ा सदस्य नहीं रहा हो । दोनों पक्षों की मौखिक साक्ष्य से यह भी साबित है कि गोपाल की मृत्यु के समय उसके दो पुत्र बनवारी व प्रहलाद एक से चार साल की उम्र के थे । इसलिये ओंकार ही परिवार में सबसे बड़ा और कर्ता खानदान रहा है ।

14- प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण का यह तर्क है कि जयपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत विश्वेदार अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को काश्त करने के लिये जमींन देता था और विश्वेदारों ने जो मुसलमान थे, ओंकार को ही अपनी जमींन काश्त करने को दी है, परन्तु ना तो प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण की ओर से कोई पुख्ता साक्ष्य पेश करके यह तथ्य साबित किया गया कि विश्वेदारों ने ओंकार को अपनी जमींन काश्त करने को दी हो और ना ही यह साबित

किया कि जयपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व रिकार्ड में दर्ज जीणा को हटाकर ओंकार को वादग्रस्त भूमि काश्त करने के लिये दी हो । प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा भी तथ्य स्थापित नहीं है कि तत्कालीन बिश्वेदारों ने जीणा से हटाकर कब्जा काश्त किस दस्तावेज से ओंकार को अन्तरित किया, बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध संवत् 1998 लगायत संवत् 2002 के राजस्व रिकार्ड में बिश्वेदार के कालम में अब्दुल आफीजखां आदि दर्ज है और काश्तकार के कालम में जीणा वल्द छाजू दर्ज है । वाद पत्र में प्रस्तुत वंशावली का इस रूप में प्रतिवादी ने खण्डन नहीं किया कि ओंकार और गोपाल जीणा के पुत्र ना हो । इस प्रकार संवत् 1998 से संवत् 2002 तक के खसरा गिरदावरी प्रदर्श-1 से वादग्रस्त सम्पत्ति जीणा वल्द छाजू के कब्जे काश्त का होने का तथ्य पूरी तरह से प्रमाणित है । यह तथ्य भी प्रमाणित है कि संवत 2003 में जीणा की मृत्यु हुई और उसके एक माह के भीतर ही गोपाल की मृत्यु हुई । इसलिये संवत् 2005 की बन्दोबस्त प्रदर्श-2 में पूर्व काबिज काश्त जीणा के स्थान पर उसके एक मात्र जीवित पुत्र ओंकार का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज किया गया । इसलिये वादग्रस्त सम्पत्ति जीणा के वारिसान की होना और पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति होना लिखित और मौखिक साक्ष्य से साबित है और इस संबंध में योग्य विचारण न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह विधिसम्मत् है ।

15- योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी अपने निर्णय में तनकी संख्या-1 के संबंध में यह माना है कि गिरदावरी चौसाला संवत् 1998 में वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि का 1/2 हिस्सा जीणा के नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है । लेकिन योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी ने विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुये सिर्फ यह कहते हुये वादग्रस्त सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति मानने से इन्कार किया कि **"केवल मात्र कतिपय वर्ष की खसरा गिरदावरी में जीणा का नाम दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी को पैतृक आराजी मानना विधिक नहीं है।"** यह सही है कि नामान्तरकरण संख्या-128 को भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गयी है, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भैरू द्वारा की गयी रिट याचिका में केवल तहसीलदार द्वारा कस्टोडियम भूमि की रकम जमा कराने के बारे में दिये गये नोटिस को चुनौती दी गयी थी जिसमें रिट याचिका स्वीकार करते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने तहसीलदार के आदेश को अपास्त करने का आदेश दिया था । उसके बाद भैरू के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया था लेकिन वादग्रस्त सम्पत्ति संवत् 2005 में ओंकार के नाम दर्ज होने से पहले पक्षकारान के पूर्वज जीणा के नाम दर्ज होने के तथ्य पूरी तरह प्रमाणित होने से योग्य विचारण न्यायालय का वादग्रस्त सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति मानने का निर्णय किसी भी रूप से त्रुटि पूर्ण नहीं है । योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी ने तकनीकी आधार पर तनकी संख्या-1 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध निर्णीत कर कानूनी भूल की है । इसलिये तनकी संख्या-1 के संबंध में योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का निर्णय अपास्त किया जाकर योग्य विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या-1 के संबंध में वादीगण के संबंध में किये गये निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

16- **तनकी संख्या-2 :-** इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है, जिसमें दावे में पक्षकारान का जो सजरा बताया गया है, को साबित किया जाना था । प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण ने सजरा को चुनौती देते हुये यह कहा है कि जगदीश, बरफी व रतो ओंकार की पुत्र व पुत्रियां नहीं है, बल्कि गोपाल की पुत्र व पुत्रियां हैं । प्रत्यर्थीगण ने इस तथ्य का भी खण्डन किया कि गोपाल की मृत्यु पर गोपाल की पत्नी फुली ने ओंकार से नाता विवाह कर लिया हो और जगदीश, बरफी व रतो का जन्म ओंकार व फुली के संसर्ग से हुआ हो। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि जीणा की मृत्यु के एक माह के

भीतर ही गोपाल की मृत्यु हो गयी थी । उस समय गोपाल व फुली के दो पुत्र बनवारी व प्रहलाद नाबालिग थे और उस समय की प्रथा के मुताबिक फुली ने ओंकार से नाता विवाह कर लिया, जिनसे जगदीश, बरफी व रतो पैदा हुये । प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि गोपाल की मृत्यु के बाद फुली ने ओंकार से नाता विवाह नहीं किया । उनका यह भी तर्क है कि फुली की ओंकार से शादी (नाता) कब, किस तरीके से हुई, साबित नहीं किया। उनका यह भी तर्क है कि ओंकार की विवाहित पत्नी जड़ाव मौजूद थी और जड़ाव के रहते फुली का ओंकार से नाता नहीं हो सकता था । विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि फुली और ओंकार का कथित नाता अवैध होने से उनकी संताने ओंकार की सम्पत्ति प्राप्त नहीं कर सकते । इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि जगदीश, बरफी व रतो को पहले सिविल न्यायालय से यह घोषित कराना आवश्यक है कि वह ओंकार के पुत्र व पुत्रियां है । इसके बिना ओंकार के पुत्र, पुत्रियां वादग्रस्त भूमि के बारे में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करा सकते ।

17- विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से लिखित और मौखिक साक्ष्य पेश की गयी है । वादीगण ने जगदीश की मृत्यु के बाद फुली का ओंकार से नाता विवाह करने के संबंध में मौखिक साक्ष्य पेश की है जिसमें गवाह जगदीश, बनवारी, प्रभूदयाल, ओंकार पुत्र गौरी सहाय, अंजी पुत्र चन्दर के बयान महत्वपूर्ण है । गवाह प्रभूदयाल, ओंकार पुत्र गौरी सहाय और अंजी पुत्र चन्दर स्वतंत्र मौतबीर गवाह है, जिनकी बयानों के समय 75 से 85 वर्ष की आयु रही है । जिन्होंने यह साबित किया है कि गोपाल की मृत्यु के बाद गोपाल की पत्नी फुली ने समाज में प्रचलित प्रथा के मुताबिक ओंकार की चुड़ी पहनकर नाता विवाह कर लिया था । स्वयं प्रतिवादीगण की साक्ष्य से यह साबित है कि संवत् 2003 में जगदीश की मृत्यु हो चुकी थी और उस समय उनके समाज में नाता विवाह प्रथा प्रचलित थी। यद्यपि प्रतिवादी गवाह भैरू, जमुराराम, जड़ावली व ओंकार पुत्र कालूराम ने फुली का ओंकार से नाता विवाह नहीं होने का कथन किया है । परन्तु गवाह ओंकार पुत्र कालूराम एवं जमुराराम के बयान इस संबंध में विश्वसनीय नही है । जिन्होंने जिरह में जीणा, गोपाल ओंकार की शादी कब हुई, उनके कब पुत्र पैदा हुये आदि तथ्यों की जानकारी नहीं होने के आधार पर इन्कार किया है । परन्तु यह तथ्य साबित है कि संवत् 2003 में पक्षकारान के समाज में नाता विवाह प्रथा व्याप्त थी । वादी के गवाह प्रभूदयाल, ओंकार व अंजी मौतबीर होने के अलावा गवाह ओंकार पुत्र गौरी सहाय, फुली का भाई रिश्तेदार गवाह है तथा गवाह अंजी, जाट समाज का उसी गांव का रहने वाला है । जिन्होंने गोपाल की मृत्यु के बाद फुली द्वारा ओंकार से नाता विवाह कराना स्थापित किया है । फुली का भाई ओंकार पुत्र गौरी सहाय महत्वपूर्ण गवाह है जिसने स्पष्ट रूप से साबित किया है कि ओंकार की चुड़ी फुली को पहनाई थी । इन तीनों गवाहों ने ओंकार व फुली से जगदीश, बरफी व रतो का जन्म होना भी प्रमाणित किया है ।

18- योग्य विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य से यह माना है कि जगदीश के पिता का नाम ओंकार है । यद्धपि शिक्षा विभाग द्वारा जारी T.C नम्बर-20 पर प्रदर्श नहीं डाला गया है और राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने यह माना है कि दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा प्रदर्शित नहीं होने से साक्ष्य में पढ़ा नहीं जा सकता । परन्तु द्वितीय अपील में अपीलार्थीगण की ओर से आदेश-41 नियम-27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर ना केवल प्रमाणित प्रतिलिपि बल्कि डुप्लीकेट T.C. व असल T.C इकरारनामा पेश किया है जो विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी के आक्षेप की पूर्ति करता है । यद्यपि यह द्वितीय अपील के स्तर पर पेश किये गये हैं और प्रदर्शित नहीं है । लेकिन अन्य दस्तावेजात से

जगदीश पुत्र ओंकार होना प्रमाणित है । मौखिक साक्ष्य से वादीगण ने जगदीश पुत्र ओंकार होने का तथ्य प्रमाणित किया है । इसलिये इन दस्तावेज पर प्रदर्श डालने मात्र के लिये अब 19 साल बाद प्रकरण को वापिस विचारण न्यायालय को लौटाया जाना न्यायोचित नहीं है, बल्कि इन दस्तावेज को मौखिक साक्ष्य व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में प्रकरण के न्याय निर्णयन के लिये अपील के स्तर पर देखा जा सकता है । प्रस्तुत इकरारनामा में जगदीश पुत्र ओंकार होना प्रमाणित है । पाठशालान्तरण प्रमाण पत्र से साबित है कि जगदीश पुत्र ओंकार की जन्म दिनांक 16-7-1952 है । दोनों पक्षों की मौखिक साक्ष्य से यह साबित है कि जीणा के पुत्र गोपाल की मृत्यु संवत् 2003 अर्थात सन् 1946 में हो गयी थी । जबकि इन दस्तावेज से जगदीश का जन्म सन् 1952 में गोपाल की मृत्यु के छः साल बाद होना प्रमाणित है । इसलिये यह साबित है कि जगदीश, गोपाल का पुत्र नहीं हो सकता । गोपाल की मृत्यु के पांच साल बाद जन्मे जगदीश को गोपाल का पुत्र कैसे माना जावे ? यह प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण ने स्थापित नहीं किया और ना ही साबित कर सकते हैं । इसके विपरीत प्रत्यर्थी प्रतिवादीगण का सिर्फ यह खण्डन है कि जगदीश, बरफी व रतो, ओंकार के पुत्र व पुत्रियां नहीं है, परन्तु उन्होंने स्थापित किया है कि गोपाल की मृत्यु के बाद फुली ने किसी दूसरे गांव में नाता विवाह नही किया और वह ओंकार व गोपाल के परिवार के सदस्य के रूप में रही । प्रतिवादीगण / प्रत्यर्थीगण का ऐसा कोई तर्क और तथ्य नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि जगदीश, बरफी व रतो यदि ओंकार व फुली की संताने नहीं है तो किसकी संताने हैं । बल्कि जगदीश, बरफी व रतो, फुली की संताने होना साबित है । जगदीश की जन्म के पांच साल पहले ही गोपाल की मृत्यु होना प्रमाणित है । बरफी और रतो का जन्म फुली से जगदीश के बाद हुआ है । इसलिये फुली की संतान जगदीश, बरफी व रतो, जगदीश के जन्म से पांच साल पहले मृत्यु को प्राप्त हुये, गोपाल से फुली की संताने होना किसी भी रूप में माने जाने योग्य नहीं है और प्रत्यर्थीगण का केवल यह तर्क है कि जगदीश, बरफी व रतो, गोपाल की संताने हैं । गोपाल के अलावा किसी अन्य की संतान होना उनका तर्क नहीं है । मगर गोपाल की मृत्यु के बाद उसकी संताने जगदीश, बरफी व रतो होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता । इसलिये प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि जगदीश, बरफी व रतो, गोपाल की संतानें हो, ओंकार व फुली के संबंधों से जन्म नहीं लिया हो ।

19- ओंकार का फुली से नाता होना वादी / अपीलार्थीगण की साक्ष्य से प्रमाणित है । जगदीश, बरफी व रतो का जन्म गोपाल की मृत्यु के काफी वर्षो के बाद होना प्रमाणित है । इसके अलावा पत्रावली पर उपलब्ध बिजली विभाग की रसीद प्रदर्श-24, 25, जयपुर, नागौर आंचलिक बैंक की पास बुक प्रदर्श-31, राशन कार्ड प्रदर्श-28 से यह साबित है कि जगदीश के पिता का नाम ओंकार है । यद्यपि जगदीश के पिता का नाम गोपाल होने के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से भी राशन कार्ड, रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए-5 पेश की गयी है । इसके अलावा चयनित परिवार की सूची प्रदश ए-6 विधान सभा नियमावली, 1975 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ए-3 में जगदीश पिता गोपाल अंकित है । परन्तु प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण द्वारा ही प्रस्तुत अतिरिक्त जिला कलक्टर, पंचम जयपुर के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ए-4 में जगदीश, बरफी व रतो के पिता का नाम ओंकार तथा फुली के पति ओंकार का नाम दर्ज है जिसका खण्डन प्रतिवादी / प्रत्यर्थीगण की साक्ष्य से नहीं होता। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पास बुक की प्रति प्रदर्श 6ए लगायत 23ए, प्रदर्श 24ए निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति, राशन कार्ड की प्रतिलिपि प्रदर्श-27ए से प्रदर्श-29ए, पास बुक की प्रति प्रदश-31ए से यह साबित है कि जगदीश के पिता का नाम ओंकार है । बरफी और रतो का जन्म जगदीश के बाद हुआ है और तीनों की माता का नाम फुली है ।

फुली ने अपने पूर्व पति गोपाल की मृत्यु के बाद ओंकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से नाता या पुर्नविवाह करने का तथ्य नहीं है । जबकि फुली का ओंकार से विवाह करने का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है । इसलिये वादीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित और मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य पूरी तरह प्रमाणित है कि जीणा के पुत्र गोपाल की मृत्यु के पूर्व गोपाल व फुली के दो पुत्र बनवारी व प्रहलाद पैदा हुये थे । गोपाल की मृत्यु के बाद फुली ने ओंकार से नाता विवाह किया । ओंकार व फुली के जगदीश, बरफी व रतो पैदा हुये । वादी / अपीलार्थीगण जगदीश, बरफी व रतो ओंकार व फुली की संताने होना पूरी तरह प्रमाणित है ।

20- प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि ओंकार की प्रथम विवाहिता पत्नी जडावली के जीवित रहते फुली का नाता विवाह अवैध है और अवैध विवाह से उत्पन्न संताने धमर्ज नहीं होने से उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। मगर विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नही है । लिखित और मौखिक साक्ष्य से यह साबित है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पहले ही ओंकार व फुली से जगदीश बरफी व रतो का जन्म हो चुका था । हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पहले पक्षकारान के समाज में नाता विवाह प्रचलित थी । ऐसी कोई रूढ़ी या प्रथा साबित नहीं की गयी कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के लागू होने के पहले पक्षकारान के समाज में द्वि-विवाह का प्रचलन नहीं हो । बल्कि नाता प्रथा का प्रचलित होना और उसी प्रथा के अनुरूप गोपाल की मृत्यु होने पर ओंकार की पत्नी जड़ावली के जिन्दा रहने के बावाजूद ओंकार ने अपने भाई की विधवा फुली से नाता विवाह किया और उन दोनों के संसर्ग से जगदीश, बरफी व रतो का जन्म हुआ । इसलिये ना तो फुली का ओंकार से नाता विवाह अवैध है और ना ही उनके नाता विवाह से उत्पन्न जगदीश, बरफी व रतो अधर्मज मानी जा सकती है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-40 के प्रावधानों के मुताबिक राजस्व न्यायालय निर्वसियती अभिधारी की मृत्यु पर उसके हित का न्यागमन उस स्वीय विधि के आधार पर होगा जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्याधिन था। इसलिये राजस्व न्यायालय से खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के लिये विवाह और पैतृकता के निर्धारण कराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मृतक के वारिसान में उसकी स्वीय विधि के अनुसार राजस्व न्यायालय उत्तराधिकारियों में खातेदारी का न्यागमन करने के लिये सक्षम है ।

21- तनकी संख्या-2 के संबंध में केवल दस्तावेजात की प्रतिलिपियां प्रमाणित नहीं होने के आधार पर ही योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने तनकी संख्या-2 का निर्णय अपीलार्थी / वादीगण के विरूद्ध किया है, जो सही नहीं है । इसके विपरीत जिन दस्तावेजों पर प्रदर्श डालने के समय विचारण न्यायालय में आपत्ति नहीं की गयी है, उनके संबंध में भी योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में आक्षेप कर उन दस्तावेजों के आधार पर पैत्रिकता के निर्धारण नहीं करने का निष्कर्ष निकाला, जो विधिसम्मत् नहीं है । बल्कि तनकी संख्या-2 के संबंध में उक्त विवेचन के अनुसार योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूरी तरह विधिसम्मत् होने से इस तनकी बाबत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का निर्णय अपास्त करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

22- **तनकी संख्या-3 :-** इस तनकी के संबंध में योग्य विचारण न्यायालाय ने तनकी संख्या-1 व 2 के निर्णय के आधार पर तनकी संख्या-3 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की है जबकि योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने भी तनकी संख्या-1 के निर्णय के

मुताबिक इस तनकी का निर्णय वादीगण / प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध किया है । तनकी संख्या-1 व 2 के निर्णय के मुताबिक वादग्रस्त सम्पत्ति पैतृक है । जीणा मूल काश्तकार की मृत्यु और उसके एक माह के भीतर ही गोपाल की मृत्यु हो जाने तथा ओंकार की एकमात्र व्यस्क पुरूष सदस्य होने से वादग्रस्त सम्पत्ति ओंकार के नाम दर्ज हो गयी । इसलिये यह तनकी वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी / प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है ।

23- **तनकी संख्या-4 :-** इस तनकी के संबंध में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय तनकी संख्या-1 व 2 के आधार पर पारित किया है, परन्तु वादग्रस्त सम्पत्ति पैतृक होने और पैतृक सम्पत्ति में अपीलार्थी / वादीगण का हक व हिस्सा होने के कारण उनका पैतृक सम्पत्ति पर काबिज होना विधिक रूप से माने जाने योग्य है और इस संबंध में योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

24- **तनकी संख्या-5 :-** इस तनकी के संबंध में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय अपीलार्थी / वादीगण के विरूद्ध है जिसको किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी गयी है। नामान्तरकरण कब्जा की स्थिति के आधार पर खोला गया है । मगर प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपना हक व अधिकार रखने के कारण उक्त अनुरूप ही कार्यवाही की जा सकती है । नामान्तरकरण संख्या-128 खोलने की जो कार्यवाही की गयी है, वह अवैध नहीं मानी जा सकती । इसलिये इस तनकी के संबंध में दोनों न्यायालयों का निर्णय पुष्ट किये जाने योग्य है ।

25- **तनकी संख्या-6 :-** इस तनकी का निर्णय भी योग्य अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी संख्या-2 के आधार पर किया है । तनकी संख्या-2 के संबंध में हमारे द्वारा ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार यह तनकी वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के पक्ष में किये जाने योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

26- **तनकी संख्या-7 :-** इस तनकी के संबंध में विचारण न्यायालय ने अपने विवेचन में यह माना है कि वादीगण ने माननीय उच्च न्यायालय में कस्टोडियम भूमि पर वसूली के बाबत तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस की कार्यवाही को चुनौती देने के संबंध में पारित निर्णय को चुनौती नहीं दी गयी है बल्कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये वाद पेश किया है । जिसके लिये सक्षम दीवानी न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि राजस्व न्यायालय खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने के लिये सक्षम है और पक्षकारान की स्थिति के बारे में तनकी संख्या-2 में निर्णय किया जा चुका है । इसलिये इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में करने के विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

27- **तनकी संख्या-8 :-** इस तनकी के संबंध में विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का वाद करने बिनायदावा राजस्व न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने और राजस्व वाद की सुनवाई के लिये राजस्व न्यायालय सक्षम होने के बाबत बिनायदावा पैदा होने का विचारण न्यायालय का निर्णय पुष्ट किये जाने योग्य है एवं अपीलीय न्यायालय का निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है ।

28- **तनकी संख्या-9 :-** इस तनकी के संबंध में योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त नहीं किया है । इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी के संबंध में पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

29- **तनकी संख्या-10 :-** अनुतोष के संबंध में हमारे द्वारा ऊपर किये गये निर्णय के आधार पर योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है। योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् नहीं है । इसलिये अपीलार्थी / वादीगण का दावा डिक्री किये जाने योग्य है ।

30- निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है एवं योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9-8-2007 अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-8-2006 की पुष्टि की जाती है । पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
सदस्य

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य